

एन एच पी सी लिमिटेड भारत सरकार का उद्धम NHPC LIMITED (A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)







तीस्ता-V पावर स्टेशन

Teesta-V Power Station, Balutar

निविदा प्रपत्र TENDER DOCUMENT (Open Tender for PAF/Locals of Teesta-V PS)

कार्य का नाम : Hiring of 01 No M&M Bolero Pickup or equivalent for Teesta-v

power station for a period of 24 Months

Name of Work: Hiring of 01 No M&M Bolero Pickup or equivalent for Teesta-v

power station for a period of 24 Months

अनुमानित लागत: Rs. 7,68,000/-Estimated Cost: Rs. 7,68,000 /-

धरोहर राशि: Rs. 15,000/-Earnest Money: Rs. 15,000/-

कार्य पूरा करने की अवधि: 02 (दो) बर्ष

Completion Time: 02 (Two) Years

(This document is meant for exclusive purpose of bidding against this specification and shall not be transferred, reproduced or otherwise used for purposes other than that for which it is specifically issued)

ठेकेदार के हस्ताक्षर Signature of Contractor

टिप्पणी: इस निविदा प्रपत्र में कानूनी विवचेना के प्रयोजन से अँग्रेजी रूपांतरण विधिमान्य होगा। Note: For legal interpretation English version shall hold good in this tender document.



<u>खंड - 0</u> निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

SECTION – 0 NOTICE INVITING TENDER (NIT)





एनएचपीसी लिमिटेड NHPC LIMITED (भारत सरकार का उद्यम) (A Govt. of India Enterprise) तीस्ता V पावर स्टेशन Teesta V Power Station सिंगतम, पूर्वी सिक्किम - 737134 Singtam, East Sikkim- 737134...









IS/ISO 9001 IS/ISO 14001 IS 18001 आई एम एस प्रमाणित पावर स्टेशन IMS certified Power Station दरभाष/Ph: 03592-247349

Date: 07/02/2025

फ़ैक्स/Fax: 03592-247227/349 CIN No. L40101HR1975G0I032564 Email: <u>teestav-contract@nhpc.nic.in</u>

NH/TSV/Cont/MC-157/NIT-995/2025/452

खंड-0: ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना(एनआईटी) (घरेलू खुली प्रतिस्पर्धी बोली)

(पीएएफ/तीस्ता-v पीएस के स्थानीय लोगों के लिए खुली निविदा)

एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम) की ओर से भारत में पंजीकृत घरेलू बोलीदाताओं से दो कवर सिस्टम के तहत ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोलियां (ई-निविदाएं) आमंत्रित की जाती हैं।

<u>कार्य का वर्णन</u>:"Hiring of 01 No M&M Bolero Pickup or equivalent for Teesta-v power station for a period of 24 Months"

<u>निविदा विशिष्टता संख्याः</u> NH/TSV/Cont/MC-157/NIT-995/2025/452 Date: 07/02/2025

निविदा दस्तावेज देखे जा सकते हैं औरडाउनलोड की गईएनएचपीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.nhpcindia.com से औरऔर GeM पोर्टल पर<u>https://gem.gov.in</u>.

बोली केवल ऑनलाइन जमा की जानी है<u>https://https://gem.gov.in</u>।बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय तक। निविदा दस्तावेज की हार्ड कॉपी की बिक्री लागू नहीं है।

1.0 संक्षिप्त विवरण और निविदा की महत्वपूर्ण तिथियां:

1 1 निविदा का संक्षिप्त विवरण

	। का साक्षप्त ।ववरण:	
Sl. No	Items	Description
i.	कार्य का नाम	Hiring of 01 No M&M Bolero Pickup or equivalent for Teesta-v power station for a period of 24 Months.
ii.	निविदा विशिष्टता संख्या	NH/TSV/Cont/MC-157/NIT-995/2025/452 Date: 07/02/2025
iii.	टेंडरिंग का तरीका	GeM पोर्टल के माध्यम से कस्टम बोली सेवा
iv.	जीईएम बोली सं.	GEM/2025/B/5924211
v.	बोली दस्तावेज की लागत	जेम के लिए लागू नहीं
vi.	काम की अनुमानित लागत	₹. 7,68,000/- (Excluding Fuel Charges and GST)
vii.	ईएमडी (बोली सुरक्षा):	रु. 15,000/- क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट के रूप में "एनएचपीसी लिमिटेड" पक्ष में सिंगटम, पूर्वी सिक्किम में देय या Rs. 50,000/- से अधिक की ईएमडी के लिए, आईटीबी के अनुबंध-I के रूप में संलग्न प्रारूप के अनुसार भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक या भारत में किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के रूप में. बैंक गारंटी की वैधता बोली अविध के बाद तीन महीने तक वैध होगी। (आईटीबी का खंड 4.0 देखें)।
viii.	समापन अवधि / अनुसूची	02 (दो) बर्ष
ix.	बोली की आवश्यक वैधता	बोली की वैधता GeM पोर्टल के अनुसार होगी
X.	स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर	डॉ. विनोद अग्रवाल , श्री प्रभाश सिंह और श्री उपेन्द्र मालिक
xi.	निविदा आमंत्रण प्राधिकारी	उप.महाप्रबंधक (वि.), संविदा बिभाग , तीस्ता-V पावर स्टेशन, बालूतार, सिंगतम, जिला: पूर्वी सिक्किम-737134 ई-मेल:, teestav-contract@nhpc.nic.in

1.2 क्रिटिकल डेट :जेम बोली विवरण देखें।



2.0 बोलीदाताओं के लिए पात्रता मानदंड:

2.1 -उन बोलीदाताओं की बोलियां जिन्होंन<u>े बोली दस्तावेज की अपेक्षित लागत और</u> ईएमडी (बोलीदाताओं को निर्देश (आईटीबी) क्लॉज 3.0 और 4.0 के अनुसार) जमा नहीं किया है, उन्हें मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा, सिवाय क्लॉज नंबर 3.2 और क्लॉज के अनुसार छूट के मामले में। आईटीबी का नंबर 4.1 के अनुसार छूट है।.

बोलीदाता या तो अपेक्षित वाहन का मालिक होना चाहिए या एक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपेक्षित वाहन खरीदे और तैनात किए जाएंगे। उपक्रम आईटीबी के अनुलग्नक-द्वितीय के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा

2.2 बोलीदाताओं को निम्नलिखित न्यूनतम योग्यता मानदंडों को पूरा करना होगा::-

2.2.1 **योग्यता मानदंड**:

- (i) बोलीदाता के पास पैन नंबर, वोटर कार्ड, नवीनतम आयकर चालान / रिटर्न / आयकर छूट प्रमाण पत्र, जीएसटी पंजीकरण संख्या, /जीएसटी संबन्धित बचन (अनुरक्ति IV के अनुसार) ईपीएफ पंजीकरण संख्या, और ईएसआईसी पंजीकरण संख्या (यदि लागू हो), मेडिक्लेम पॉलिसी अंडरटेकिंग (यदि ईएसआई उपलब्ध नहीं है) होना चाहिए।)
- (ii) पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार, वार्षिक अनुमानित लागत का कम से कम 30% होना चाहिए (कम से कम 2 लाख)।
- (iii) पिछले सात वर्षों में संतोषजनक ढंग से पूरा किया गया (पिछले महीने के अंतिम दिन को समाप्त करना जिसमें आवेदन आमंत्रित किए गए थे), एक प्रमुख ठेकेदार के रूप में समान प्रकृति के एकल कार्य के लिए अनुमानित लागत का कम से कम 80% ** या 50% समान प्रकृति के प्रत्येक दो कार्यों के लिए अनुमानित लागत* या समान प्रकृति के प्रत्येक तीन कार्यों के लिए अनुमानित लागत का 40%**।

**कार्य की समान प्रकृति को इस प्रकार परिभाषित किया गया है "Any type of works and services/ "Providing Services of vehicle on Hire Basis to any Government organization / PSU / Private Company. (In case experience of private organisation, TDS certificate of the organisation is required)".

(अनुभव प्रमाण पत्र में, किया गया कार्य कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए होगा, चाहे अनुबंध की लंबाई कुछ भी हो, बशर्ते कि नियोक्ता द्वारा किए गए विशेष कार्य के लिए संतोषजनक प्रदर्शन प्रमाण पत्र जारी किया गया हो)

<u>ध्यान दें:</u>प्रासंगिक दस्तावेजों जैसे 'लेटर ऑफ अवार्ड' और 'कंप्लीशन सर्टिफिकेट' की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीइस संबंध में बोलीदाताओं द्वारा पूरा करने की तारीख और अंतिम निष्पादित राशि' का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। (ठेकेदारों द्वारा निजी संगठनों के लिए किए गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए अनुभव प्रमाण पत्र के मामले में, टीडीएस प्रमाण पत्र भी अनुभव प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा)।

(iv) आरिक्षत कार्यों/सेवाओं को प्रदान करने की नीति के तहत बोलीदाता को तीस्ता-v पावर स्टेशन द्वारा अधिसूचित क्षेत्र से तीस्ता वी पावर स्टेशन/स्थानीय लोगों के परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) की एक व्यक्तिगत इकाई होनी चाहिए। केवल पीएएफ को वरीयता दी जाएगी। जहां पर्याप्त वैध पीएएफ उपलब्ध नहीं हैं तो मूल्यांकन के लिए स्थानीय लोगों की बोली पर विचार किया जाएगा। बोलीदाता एनआईटी/आईटीबी सीएल के अनुसार पीएएफ/स्थानीय के लिए वैध दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। संख्या 2.2.6।



- 2.2.2 राजपत्र अधिसूचना- जीएसआर 501 (ई) के अनुसार परिभाषा के भीतर आने वाले सभी स्टार्ट-अप (चाहे एमएसई हों या अन्यथा)। 23.05.2017 या समय-समय पर संशोधित के रूप में पूर्व अनुभव-पूर्व टर्नओवर के संबंध में योग्यता मानदंडों को पूरा करने से छूट दी गई है, जो उनकी गुणवत्ता और तकनीकी विनिर्देशों को पूरा करने के अधीन है, जिसके लिए ऐसे बोलीदाताओं द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा किए जाएंगे। हालांकि, सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, महत्वपूर्ण सुरक्षा संचालन और उपकरणों आदि से संबंधित वस्तुओं की खरीद जैसी परिस्थितियों के मामले में नियोक्ता स्टार्ट-अप (चाहे एमएसई या अन्यथा) को ऐसी छूट से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में घोषणा की जानी है बोलीदाता द्वारा अनुबंध-VIII के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।
- 2.2.3 सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को गुणवत्ता और तकनीकी विशिष्टताओं की बैठक के अधीन सार्वजनिक खरीद में पूर्व अनुभव-पूर्व कारोबार के संबंध में योग्यता मानदंडों को पूरा करने से छूट दी गई है, जिसके लिए ऐसे बोलीदाताओं द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा किए जाएंगे।
- 2.2.4 उपरोक्त पात्रता/योग्यता आवश्यकताओं के लिए अवधि पर विचार करने के लिए संदर्भ तिथि उस महीने के अंतिम दिन होगी जिसमें निवेदाएं आमंत्रित की जाती हैं।
- 2.2.5 प्रत्येक बोलीदाता को अपनी बोली पैन, जीएसटी पंजीकरण संख्या, /जीएसटी संबन्धित बचन (अनुरक्ति IV के अनुसार), ईपीएफ पंजीकरण संख्या और ईएसआईसी पंजीकरण संख्या (यदि लागू हो), मेडिक्लेम पॉलिसी अंडरटेकिंग (यदि ईएसआई उपलब्ध नहीं है) के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- 2.2.6 बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजी साक्ष्य/प्रमाणपत्रों के बाद परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) और स्थानीय लोगों की पात्रता का दावा करने के लिए निम्नानुसार हैं:

परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के लिए प्रासंगिक दस्तावेज जिसे तीस्ता-v पावर स्टेशन, एनएचपीसी लिमिटेड में उपलब्ध पीएएफ की सूची से सत्यापन के बाद ही मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा। स्थानीय लोगों के लिए

पूर्वी सिक्किम के निवासी दक्षिण सिक्किम के निवासी उत्तरी सिक्किम के निवासी

सरकार द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र (सीओआई) / सिक्किम विषय प्रमाण पत्र (एसएससी) की प्रमाणित प्रति। सिक्किम के आवासीय पते और बोलीदाता के फोटो का उल्लेख।

ए. परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की परिभाषाएं:

परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की परिभाषा "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार" और बाद में संशोधन, यदि कोई हो, में प्रदान की गई परिभाषा के अनुसार होगी।

एनएचपीसी के लिए अधिग्रहित भूमि के संबंध में परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की परिभाषा नीचे दी गई है:

- (i) एक परिवार जिसकी भूमि या अन्य अचल संपत्ति एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा तीस्ता-v पावर स्टेशन प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की गई है।
- (ii) एक परिवार जिसके पास कोई जमीन नहीं है, लेकिन ऐसे परिवार के सदस्य या सदस्य खेतिहर मजदूर हो सकते हैं, किरायेदारों सिहत किसी भी प्रकार की किरायेदारी या सूदखोरी का अधिकार, बटाईदार या कारीगर या जो प्रभावितों में काम कर रहे हैं, तीन साल के लिए हैं भूमि के अधिग्रहण से पहले, जिसकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित हो:
- (iii) अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी जिन्होंने भूमि के अधिग्रहण के कारण अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत मान्यता प्राप्त अपने किसी भी वन अधिकार को खो दिया है;
- (iv) ऐसे परिवार जिनकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत भूमि अधिग्रहण से पहले तीन साल तक वनों या जल निकायों पर निर्भर है और इसमें वन उपज, शिकारी, मछुआरे और नाविक शामिल हैं और ऐसी आजीविका भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित होती है;
- (v) परिवार का एक सदस्य जिसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अपनी किसी भी योजना के तहत भूमि आवंटित की



गई है और ऐसी भूमि अधिग्रहण के अधीन है:

(vi) एक परिवार जो शहरी क्षेत्रों में किसी भी भूमि पर भूमि के अधिग्रहण से पहले तीन साल या उससे अधिक समय से रह रहा हो या जिसकी जमीन के अधिग्रहण से तीन साल पहले आजीविका का प्राथमिक स्रोत ऐसी भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित हो।

B. स्थानीय लोगों की परिभाषाएँ:

"पीएएफ और तीस्ता-V पावर स्टेशन के पास रहने वाले स्थानीय लोगों को स्थानीय प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर दिए जाने वाले कार्यों के आरक्षण के लिए नीति के तहत पात्र स्थानीय निवासियों को परिभाषित करने की भौगोलिक सीमा सिक्किम के पूर्व, उत्तर और दक्षिण जिले होंगे। किसी एक इकाई को किसी भी समय दिए जाने वाले कार्यों और सेवाओं का मूल्य 125.00 लाख रुपए (एक सौ पच्चीस लाख रुपए) तक सीमित होगा।

C. आरक्षण के लिए कौन पात्र हैं:

(i) अधिसूचित क्षेत्र से व्यक्तिगत पीएएफ/स्थानीय केवल आरक्षित कार्यों/सेवाओं के पुरस्कार के लिए नीति के तहत विचार किया जाएगा।

The eligibility of PAF to participate in the tenders shall be considered taking into account the work awarded to PAF's family as a whole. The person, his family along with legal heirs shall be considered as single PAF. Declaration in this regard shall be provided by the PAF. In case of false declaration, the concerned PAF shall be debarred from participation of tenders for six months!

(ii) The provision regarding Public Procurement (Preference to Make in India) Order-2017, Restrictions under Rule 144 (xi) of the General Financial Rule (GFRs) 2017, Micro and Small Enterprises and Startups as amended from time to time shall be applicable for this policy. The owner of MSMEs/Startups shall from the entities mentioned at Sl. No. (i) above l

घ. एक समय में एक ही इकाई को चार से अधिक कार्य/सेवाएं आवंटित/प्रदान नहीं की जाएंगी।

इ।यदि कोई ठेकेदार अनुबंध की आवश्यकता के अनुसार प्रदर्शन नहीं करता है, तो ठेकेदार को बिना किसी परिणाम के अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा और उसे समाप्ति की तारीख से दों साल के लिए नीति के तहत निविदा में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।

- 2.3 बोलीदाता को व्यापार सौदे पर प्रतिबंध लगाने (अनुलग्नक-ए) से सत्यनिष्ठा संधि [यदि लागू हो], आईटीबी क्लॉज के पैरा 6 में उल्लिखित आधारों पर प्रतिबंधित / डी-लिस्ट / ब्लैक लिस्टेड / व्यापार से वंचित या अपात्र घोषित नहीं किया जाना चाहिए था। 9.0. इस संबंध में स्व-घोषणा संलग्न अनुलग्नक-III के अनुसार प्रस्तुत की जानी है।
- 2.4 निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता में सुधार करने के लिए और/या किए गए कार्य के निष्पादन के दौरान, नियोक्ता आईटीबी के खंड संख्या 9.0 के अनुसार सत्यिनष्ठा संधि को लागू कर रहा है। बोलीदाता को आईटीबी के खंड 9.0 के अनुसार विधिवत हस्ताक्षरित [यदि लागू हो] प्रोफार्मा (अनुलग्नक-II) के अनुसार सत्यिनष्ठा समझौता प्रस्तुत करना होगा।
- 2.5 वह बोलीदाता, जिसके विरुद्ध दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अंतर्गत दिवाला की कार्यवाही प्रारंभ हो गई हो अथवा समय समय पर संशोधित हो, बोली के लिए पात्र नहीं होगा। इस संबंध में स्व घोषणा संलग्न प्रोफार्मा (खंड-1 के अनुलग्नक-X) के अनुसार प्रस्तुत की जानी है।
- 2.6 केवल उन्हीं बोलीदाताओं की बोलियों पर विचार किया जाएगा जो ऊपर निर्दिष्ट पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं और अनुबंध के मूल्यांकन और पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा। बोलीदाता अपनी साख और पात्रता मानदंड को पूरा करने के दावे को साबित करने के लिए अपनी बोली के साथ आवश्यक सहायक दस्तावेज [दस्तावेजों के प्रकार का उल्लेख करें] और प्रशंसापत्र प्रस्तुत करेंगे।



- 3.0 ऑनलाइन टेंडरिंग के बारे में विवरण/सूचना अर्थात GeM पोर्टल पर पंजीकरण, बोली की तैयारी और बोली प्रस्तुत करना GeM पोर्टल पर उपलब्ध है।
- 4.0 एनएचपीसी किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ऐसी अस्वीकृति के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- 5.0 सभी ऑफ़लाइन दस्तावेज उप महाप्रबंधक (वि.), खरीद और अनुबंध के कार्यालय में पहुंचेंगेडिवीजन, तीस्ता-v पावर स्टेशन, एनएचपीसी लिमिटेड, बालूतार, पीओ- सिंगतम, पूर्वी सिक्किम, पिन: 737134, 03 दिन के भीतर बोली समाप्ति तिथि / बोली खुलने की तिथि 16:30 बजे के दिन। बलूतार क्षेत्र में कोई विश्वसनीय कूरियर सेवा उपलब्ध नहीं है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी डाक विलंब से बचने के लिए अपनी ऑफ़लाइन बोलियां पहले ही भेज दें। गैर-प्राप्ति/देर से प्राप्ति या निविदा के पारगमन में हानि के संबंध में किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा और निविदा दस्तावेज में निहित विभिन्न प्रावधानों से निपटा जाएगा।

एनएचपीसी लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से

उप. महाप्रबंधक (वि.), संविदा प्रभाग, तीस्ता-v पावर स्टेशन

ईमेल आईडी: teestav-contract@nhpc.nic.in





एनएचपीसी लिमिटेड NHPC LIMITED (भारत सरकार का उद्यम) (A Govt. of India Enterprise) तीस्ता V पावर स्टेशन Teesta V Power Station सिंगतम, पूर्वी सिक्किम - 737134 Singtam, East Sikkim- 737134...









IS/ISO 9001 IS/ISO 14001 IS 18001 आई एम एस प्रमाणित पावर स्टेशन IMS certified Power Station दूरभाष/Ph: 03592-247349

Dated: 07/02/2025

फ़ैक्स/Fax: 03592-247227/349 CIN No. L40101HR1975G0I032564 Email: <u>teestav-contract@nhpc.nic.in</u>

NH/TSV/Cont/MC-157/NIT-995/2025/452

SECTION-0: NOTICE INVITING E-TENDER (NIT)
(Domestic Open Competitive Bidding)
(Open Tender for PAF/Locals of Teesta-V PS)

Online electronic bids (e-tenders) under two cover system are invited on behalf of NHPC Limited (A Public Sector Enterprise of the Government of India) from domestic bidders registered in India.

<u>Description of work</u>: "Hiring of 01 No M&M Bolero Pickup or equivalent for Teesta-v power station for a period of 24 Months."

Tender Specification No.: NH/TSV/Cont/MC-157/NIT-995/2025/452 Dated: 07/02/2025

Tender document can be viewed and downloaded from NHPC Limited website www.nhpcindia.com and GeM portal at https://gem.gov.in.

The bid is to be submitted online only on https://gem.gov.in. up to last date and time of submission of bids. Sale of hard copy of tender document is not applicable.

1.0 Brief Details & Critical Dates of Tender:

1.1 Brief Details of Tender:

r. No.	Items	Description
i.	Name of Work	Hiring of 01 No M&M Bolero Pickup or equivalent for Teesta-v power station for a period of 24 Months.
ii.	Tender Specification No.	NH/TSV/Cont/MC-157/NIT-995/2025/452 Dated: 07/02/2025
iii.	Mode of tendering	Custom Bid Service via GeM Portal
iv.	GeM Bid No.	GEM/2025/B/5924211
v.	Cost of Bidding Document	Not Applicable for GeM
vi.	Estimated cost of work	Rs. 7,68,000/- (Excluding Fuel Charges and GST)
vii.	EMD (Bid Security):	Rs.15,000/-
viii.	Completion Period / Schedule	02 Years
ix.	Required validity of Bid	Bid validity will be as per GeM Portal
х.	Independent External Monitor	Dr. Vinod Aggarwal, Sh. Prabhash Singh & Sh. Upendra Malik
xi.	Tender Inviting Authority	Dy. General Manager (Elect.),
		Contract Division, Teesta-V Power Station,
		Balutar, Singtam, Distt : East Sikkim-737134
		E-mail:,teestav-contract@nhpc.nic.in



1.2 Critical Dates of Tender: Refer GeM Bid Details.

2.0 Eligibility Criteria for Bidders:

2.1 Bids of those Bidders who have not submitted the requisite Cost of bidding document and EMD (as per Instructions to Bidders (ITB) Clause 3.0 & 4.0) shall not be considered for evaluation, except in case of exemption as per Clause No. 3.2 & Clause No. 4.1 of ITB.

The bidder should either be owner of the requisite vehicle or shall submit an undertaking that the requisite vehicles would be purchased and deployed by him within the stipulated time. The undertaking shall be submitted as per Attachment-II of ITB

2.2 The bidders must fulfil the following minimum Qualifying Criteria: -

2.2.1 Qualification Criteria:

- (i) The bidder should have PAN No., Voter ID card, Latest Income Tax Challan/ return/ Income Tax exemption certificate, GST Registration No./GST Undertaking (As per attachment-IV), EPF Registration No., and ESIC Registration No. (If Applicable), Mediclaim Policy Undertaking (in case ESI is not available).
- (ii) Average annual financial turnover during the last three (03) financial years ending 31st March of previous financial year 2023-24, should be at least 30% of the Annualized Estimated Cost* i.e at least 2.0 Lakh.
- (iii) Satisfactorily completed in last seven year (ending last day of the month of previous to the one in which applications are invited), as a Prime Contractor at least 80% of Annualized Estimated Cost* for single work of similar nature** or 50% of Annualized Estimated Cost* for each two works of similar nature** or 40% of Annualized Estimated Cost* for each three works of similar nature**.

**Similar nature of work is defined as "Any type of works and services/ "Providing Services of vehicle on Hire Basis to any Government organization / PSU / Private Company. (In case experience of private organisation, TDS certificate of the organisation is required)".

(In the experience certificate, the work done shall be for a minimum period of one year irrespective of length of contract subject to satisfactory performance certificate issued by the employer for the particular work done)

<u>Note:</u> Self attested copies of relevant documents such as 'Letter of Award' and 'Completion Certificate' mentioning date of completion and final executed amount' should be submitted by the bidders in this regard. (In case of experience certificates produced by the contractors for having executed works for Private Organizations, TDS Certificates shall also be produced along with experience certificate)."

- (iv) The bidder must be an individual entity of Project Affected Family (PAFs) of Teesta V Power Station/ Locals from the notified area by the Teesta-V Power Station under the policy for award of the reserved works/services. Preference shall be given to PAF only. Where sufficient valid PAFs are not available then bid from locals shall be considered for evaluation. Bidder shall submit declaration as per Attachment-III and also shall submit valid documents for PAFs/Local as per NIT/ITB Cl. No. 2.2.6.
- 2.2.2 All Start-ups (whether MSEs or otherwise), falling within the definition as per Gazette notification- G.S.R. 501(E) dt. 23.05.2017 or as amended from time to time are exempted from meeting the qualification criteria in respect of Prior Experience-Prior Turnover subject to their



meeting the quality and technical specifications for which necessary documents shall be submitted by such bidders. However, the Employer reserves the right to deny such exemptions to Start-ups (whether MSEs or otherwise) in case of circumstances like procurement of items related to public safety, health, critical security operations and equipments etc. Declaration in this regard is to be submitted by the Bidder as per Annexure-VIII.

Note: The Udyog Aadhar Memorandum shall be valid upto 30.06.2022, thereafter Udyam registration shall be the ONLY valid MSME registration document.

- 2.2.3 All Micro and Small Enterprises (MSEs) are exempted from meeting the qualification criteria in respect of Prior Experience-Prior Turnover in public procurement subject to meeting of quality and technical specifications for which necessary documents shall be submitted by such bidders.

 Note: The Udyog Aadhar Memorandum shall be valid upto 30.06.2022, thereafter Udyam registration shall be the ONLY valid MSME registration document.
- 2.2.4 The reference date for considering the period for eligibility / qualification requirements above shall be the last day of the month previous to the one in which tenders are invited.
- 2.2.5 Each bidder must also produce with their Bid PAN, GST Registration No./GST Undertaking (As per attachment-IV), EPF Registration No. and ESIC Registration No. (if Applicable), Mediclaim Policy Undertaking (in case ESI is not available).
- 2.2.6 To claim the eligibility of Project Affected Families (PAF) and Locals following documentary evidence/certificates to be submitted by the bidder are as follows:

For Project Affected Families (PAF)

Relevant Document which shall be considered for evaluation only after verification from List of PAF as available in Teesta-V Power Station, NHPC Ltd.

For Locals

Residents of East Sikkim

Attested copy of Certificate of Identification (COI)/Sikkim Subject Certificate (SSC) issued by Govt. of Sikkim mentioning residential address and photo of the bidder.

Residents of South Sikkim

Residents of North Sikkim

A. Definitions of Project affected families (PAFs):

The definition of Project affected families (PAFs) shall be as per definition provided in the "Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" and subsequent amendments, if any.

The definition of Project affected families (PAFs) in relation to land acquired for NHPC is as below:

- (i) a family whose land or other immovable property has been acquired by NHPC Limited for Teesta-V Power Station Purpose.
- (ii) a family which does not own any land but a member or members of such family may be agricultural labourers, tenants including any form of tenancy or holding of usufruct right, share-croppers or artisans or who may be working in the affected are for three years prior to the acquisition of the land, whose primary source of livelihood stand affected by the acquisition of land;
- (iii) the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who have lost any of their forest rights recognized under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 due to acquisition of land;
- (iv) family whose primary source of livelihood for three years prior to acquisition of land is



- dependent on forests or water bodies and includes gatherers of forest produce, hunters, fisher folk and boatman and such livelihood is affected due to acquisition of land;
- (v) a member of the family who has been assigned land by the State Government or the Central Government under any of its schemes and such land is under acquisitions;
- (vi) a family residing on any land in the urban areas for preceding three years or more prior to the acquisition of the land or whose primary source of livelihood for three years prior to the acquisition of the land is affected by the acquisition of such land.

B. Definitions of Locals:

"The geographical limits for defining the local residents eligible under the policy for reservation of works to be awarded on Local Competitive Bidding Basis to PAFs and Locals residing near to Teesta-V Power Station shall be East, North & South Districts of Sikkim. The value of works and services to be awarded to any single entity at any point of time shall be limited to Rs. 125 Lakhs (Rupees One Hundred Twenty Five Lac).

C. Who are eligible for reservation:

(i) Individual PAFs/Local from the notified area will only be considered under policy for award of the reserved works/services.

The eligibility of PAF to Participate in the tenders shall be considered taking into account the work awarded to PAF's family as a whole. The person, his family along with legal heirs shall be considered as single PAF. Declaration in this regard shall be provided by the PAF. In case of false declaration, the concerned PAF shall be debarred from participation of tenders for six months.

(ii) The provision regarding Public Procurement (Preference to Make in India) Order-2017, Restrictions under Rule 144 (xi) of the General Financial Rule (GFRs) 2017, Micro and Small Enterprises and Startups as amended from time to time shall be applicable for this policy. The owner of MSMEs/Startups shall from the entities mentioned at Sl. No. (i) above.

D. At a time not more than four works/ services shall be allotted/ awarded to the same entity.

E. In case any contractor does not perform as per the requirement of contract, the contract would be terminated without any consequences to the contractor and he will be debarred from participating in the tender under policy for Two Years from date of termination.

- 2.3 The Bidder should not have been banned / de-listed / black listed / debarred from business or declared ineligible on the grounds mentioned in para 6 of Guidelines on Banning of Business Dealings (Annexure-A) to Integrity Pact [if applicable], ITB Clause 9.0. **Self-declaration in this regard is to be submitted as per enclosed Annexure-III.**
- 2.4 To improve transparency and fairness in tendering process and/or during execution of work undertaken, the Employer is implementing Integrity Pact as per Clause No. 9.0 of the ITB. The bidder must submit the Integrity Pact as per Proforma (Annexure-II) duly signed [if applicable] as per Clause 9.0 of ITB.
- 2.5 The Bidder, against whom proceedings for insolvency under the Insolvency and Bankruptcy code 2016, or as amended from time to time, have started, shall not be eligible for bidding. Self-declaration in this regard is to be submitted as per enclosed Proforma (Annexure-X of Section –I).
- 2.6 Bids of only those Bidders who are meeting the Eligibility Criteria specified above will be considered for evaluation and award of the Contract. Bidders will submit **self attested** requisite supporting documents [mention the type of documents] and testimonials with their Bids to prove their credentials and claim of meeting the Eligibility Criteria.



- 3.0 The details/ information regarding online tendering i.e. Registration on GeM portal, Preparation of Bid and Submission of bid are available on GeM Portal.
- 4.0 NHPC reserves the right to reject any or all tenders and shall not be bound to assign any reason for such rejection.
- 5.0 All offline documents shall reach in the office of DGM (Elect.), Contract Division, Teesta -V Power Station, NHPC Ltd., Balutar, PO- Singtam, East Sikkim, Pin: 737134 within 03 days of Bid End date / Bid Opening date at 16:30 Hrs. No reliable courier service is available in the Balutar area. Bidders are advised to send their offline bids well in advance to avoid any postal delay. Any query regarding non-receipt/late receipt or loss in transit of tender shall not be entertained & shall be dealt with various provisions contained in tender document.

For and on behalf of NHPC LIMITED

Dy. General Manager (Elect.),

Contract Division,

Teesta-V Power Station

Email id: teestav-contract@nhpc.nic.in